

एच.आर./ 2343

12-09-2017

सेवा में,
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 रेणुकूट वन प्रभाग,
 रेणुकूट, सोनभद्र ।

विषय : जनपद-सोनभद्र में रेणुकूट वन प्रभाग द्वारा रेणुसागर पावर कम्पनी को ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु लीज पर दी गयी 61.2348 हेक्टेयर वनभूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रदत्त कुल 126.27 हेक्टेयर में से 61.2348 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में।

- संदर्भ:**
1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या – एफ.नं0 8-05/1993-एफ.सी.(पी.टी.) दिनांक-13.02.2017.
 2. अनुसचिव, उ0प्र0शासन का पत्र संख्या-भा0स0 30/14-2-2016-911/92 वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2, लखनऊ दिनांक 20.02.2017.
 3. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या –एफ.नं0 8-05/1993-एफ.सी.(पी.टी.) दिनांक-24.07.2017.
 4. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या 1765/11-सी लखनऊ दिनांक 21.02.2017.
 5. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या 625/11-सी-एफ.पी./ यू.पी./आई. एन.डी./25304/ 2017 लखनऊ दिनांक 31.08.2017.
 6. आपका पत्रांक 841/ रेणुकूट/ 15-31 दिनांक सितम्बर 6, 2017

महोदय,

विषयक प्रकरण में सन्दर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश दिनांक 13.02.2017 की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप में पाँच प्रतियों में प्रेषित करने हेतु सूचित किया गया है जो कि निम्न विवरण के अनुसार प्रेषित है :-

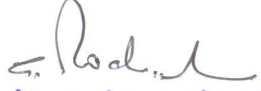
Condition No	Conditions	Status of Compliance
01.	Legal Status of the diverted forest land shall remain unchanged	वनभूमि के लीगल स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और न ही भविष्य में किया जायेगा ।

प्राप्त किया
 15/9/17



**For Hindalco Industries Limited
 (Renusagar Power Division)**

Contd..2/


**(Gerard D. Rodericks)
 Vice President - HR**

Hindalco Industries Limited

Renusagar Power Division, P.O. Renusagar 231 218, District: Sonbhadra, Uttar Pradesh, India

T: +91 5446 278592-95, 277161-63 | F: +91 5446 278596 / 277164 | E: hindalco@adityabirla.com | W: www.hindalco.com

Registered Office: Century Bhavan, 3rd Floor, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 030, India | T: +91 22 6662 6666

Corporate ID No. : L27020MH1958PLC011238

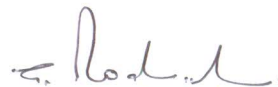


02.	The non-forest land identified for raising Compensatory Afforestation shall be notified by the State Government as RF under section 4 or P.F under section 20 of the Forest Act, 1927 or under the relevant Section of the local Forest Act, if not already done.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 8-5/93-एफ.सी. दिनांक 22.02.1999 तथा इसके क्रम में उ0प्र0 सरकार का शासनादेश सं0 2464 /14-2-99 -911/ 1992 दिनांक 21.06.1999 के अनुपालन में 57.57 हे0 गैर वनभूमि कमशः ग्राम पेढ, पुरना जनपद-सोनभद्र, पूर्व में मिर्जापुर वन प्रभाग तथा वर्तमान में कैमूर वन्यजीव प्रभाग में दिनांक 06.10.1995 को तथा 3.66 हे0 गैर वनभूमि ग्राम पिन्डारी एवं अन्जानी, तहसील-दुद्धी. जनपद-सोनभद्र, रेणुकूट वन प्रभाग में दिनांक 30.05.1998 को रजिस्ट्री के माध्यम से उपलब्ध करायी जा चुकी है जिससे संबंधित रजिस्ट्री एवं खतौनी की छायाप्रति संलग्न है ।
03	The User Agency shall transfer online, the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal, as per orders of Hon'ble Supreme Court of India dated 29.03.2008, 24.04.2008 & 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009, The requisite fund shall be transferred through on line portal into Ad-hoc CAMPA account of the State Concerned.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि 61.2348 हे0 वनभूमि का रू0 6,26,000.00 प्रति हेक्टेयर की दर से रू0 3,83,32,985.00 का भुगतान ई. चालान के माध्यम से खाता संख्या 15090121253042017258 में दिनांक 11.09.2017 को आई.डी.बी.आई.बैंक, रेणुकूट द्वारा ट्रांसफर कर दिया गया है। ई.चालान की मूल प्रति संलग्न है ।
04	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the user Agency shall furnish an undertaking to pay additional amount of Net Present Value, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि यदि एन.पी.वी. की धनराशि में भविष्य में बढ़ोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि संस्थान द्वारा भुगतान करने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता है। इस संबंध में धनराशि भुगतान करने हेतु कहीं भी कोई विवाद उत्पन्न नहीं किया जायेगा (वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है) ।

For Hindalco Industries Limited
(Renusagar Power Division)

Contd...3/

Hindalco Industries Limited


(Gerard D. Rodericks)
Vice President - HR

Renusagar Power Division, P.O. Renusagar 231 218, District: Sonbhadra, Uttar Pradesh

T: +91 5446 278592-95, 277161-63 | F: +91 5446 278596 / 277164 | E: hindalco@adityabirla.com | W: www.hindalco.com

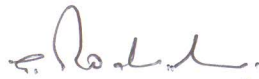
Registered Office: Century Bhavan, 3rd Floor, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 030, India | T: +91 22 6662 6666

Corporate ID No. : L27020MH1958PLC011238



05	The User Agency shall pay NPV at the rate of 20 percent for each year since the violation of Forest (Conservation) Act, 1980 has commenced.	एफ.ए.सी. बैठक दिनांक 25.04.2017 में लिये गये निर्णय तथा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या -एफ.नं0 8-05/1993-एफ.सी.(पी.टी.) दिनांक-24.07.2017 के क्रम में सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश दिनांक 13.02.2017 के शर्त संख्या 5 के अनुपालन में रु0 6,13,32,776/- संस्थान द्वारा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, कोलकाता द्वारा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, रेणुकूट के माध्यम से निर्गत बैंक गारन्टी संख्या 0544BGR0029718 दिनांक 11.08.2017 जिसकी वैधता दिनांक 30.11.2017 तक है तथा प्रभागीय वनाधिकारी, रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट, सोनभद्र के पक्ष में देय है, मूलप्रति संलग्न है ।
06.	User Agency shall raise penal CA equivalent to the land utilized in violation of the provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980.	एफ.ए.सी. बैठक दिनांक 25.04.2017 में लिये गये निर्णय के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या -एफ.नं0 8-05/1993-एफ.सी.(पी.टी.) दिनांक-24.07.2017 के क्रम में सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश दिनांक 13.02.2017 के शर्त संख्या 6 के अनुपालन में रु0 93,01,811/- संस्थान द्वारा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, कोलकाता द्वारा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, रेणुकूट के माध्यम से निर्गत बैंक गारन्टी संख्या 0544BGR0029718 दिनांक 11.08.2017 जिसकी वैधता दिनांक 30.11.2017 तक है तथा प्रभागीय वनाधिकारी, रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट, सोनभद्र के पक्ष में देय है, मूलप्रति संलग्न है ।

For Hindalco Industries Limited
(Renusagar Power Division)


(Gerard D. Rodericks)
Vice President - HR

Contd..4/

Hindalco Industries Limited

Renusagar Power Division, P.O. Renusagar 231 218, District: Sonbhadra, Uttar Pradesh, India

T: +91 5446 278592-95, 277161-63 | F: +91 5446 278596 / 277164 | E: hindalco@adityabirla.com | W: www.hindalco.com
Registered Office: Century Bhavan, 3rd Floor, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 030, India | T: +91 22 6662 6666

Corporate ID No. : L27020MH1958PLC011238



07	Period of diversion of the said forest land under this approval shall be for a period co-terminus with the period of the mining lease proposed to be granted under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, as amended and the Rules framed thereunder.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि संस्थान द्वारा प्रश्नगत वनभूमि पर कोई खनन कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि उत्सर्जित ऐश का भण्डारण किया जा रहा है। जिस पर एम.एम.डी.आर एक्ट, 1957 लागू नहीं होता है।
08	Any fund received from the user agency under the project and deposited in the State Forest Department account, except the funds realized for re generation/demarcation of safety zone, shall be transferred through on line portal into Ad-hoc CAMPA account of the State concerned.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि संस्थान द्वारा वांछित धनराशि राज्य सरकार के Ad-hoc CAMPA account में जमा कर दी गयी है।
09	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, if required.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक जे 13012/148/ 2008-IA. II (T) दिनांक 21.01.2013 द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
10	No labour Camp shall be established on the forest land.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि संस्थान द्वारा प्रश्नगत वनक्षेत्र में कोई भी श्रमिक कैम्प नहीं लगाया गया है और न ही भविष्य में लगाया जायेगा।
11	The User Agency shall provide fuels preferably alternate fuel to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest area.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि संस्थान द्वारा प्रश्नगत वनक्षेत्र में पूर्व में कार्य पर लगे श्रमिकों व स्टाफ को नियमानुसार ईंधन आदि की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है तथा भविष्य में भी कराई जायेगी।
12	The boundary of the diverted forest land, mining lease and safety zone, as applicable shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, distance from pillar to pillar and GPS-co-ordinates	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत वनक्षेत्र का मौके पर सीमांकन कराते हुये पिलर स्थापित किया गया है तथा पिलर संख्या, पिलर से पिलर की दूरी तथा उसका जीपीएस लोकेशन भी अंकित किया गया है, जिसका विवरण क्षेत्रीय वनाधिकारी, अनपरा से सत्यापित कराते हुये संलग्न है।

For Hindalco Industries Limited
(Renusagar Power Division)

Contd...5 /

Hindalco Industries Limited

Renusagar Power Division, P.O. Renusagar 231 218, District: Sonbhadra, Uttar Pradesh, India

T: +91 5446 278592-95, 277161-63 | F: +91 5446 278596 / 277164 | E: hindalco@adityabirla.com | W: www.hindalco.com

Registered Office: Century Bhavan, 3rd Floor, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 030, India | F: +91 22 6662 6666

Corporate ID No. : L27020MH1958PLC011238

(Signature)
Gerald D. Rodericks
Vice President - HR



13	The layout plan of the mining plan/proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि संस्थान द्वारा प्रश्नगत वनभूमि पर कोई खनन कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि उत्सर्जित ऐश का भण्डारण किया जा रहा है। इस कारण माइनिंग प्लान भारत सरकार से अप्रूव्ड कराने की आवश्यकता नहीं है।
14	The Forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि संस्थान द्वारा प्रश्नगत वनक्षेत्र का उपयोग उत्सर्जित ऐश के भण्डारण हेतु किया जा रहा है और भविष्य में अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जायेगा।
15	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without the prior approval of the Central Government.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि संस्थान द्वारा प्रश्नगत वनक्षेत्र को किसी अन्य एजेंसी, डिपार्टमेंट या व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया गया है और न ही भविष्य में किया जायेगा।
16	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि संस्थान द्वारा प्रश्नगत वनक्षेत्र से सटे क्षेत्र में उपलब्ध फलोरा एवं फौना को कोई क्षति नहीं पहुँचाई गयी है और न ही भविष्य में पहुँचाई जायेगी।
17	Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि संस्थान द्वारा प्रश्नगत वनक्षेत्र में तत्समय उपलब्ध वृक्षों का निस्तारण उ०प्र० वन निगम के माध्यम से वर्ष 1999 में कराया जा चुका है। वर्तमान में कोई वृक्ष उपलब्ध नहीं है।
18	The user agency will abide by the applicable recommendations of the State Government.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत वनभूमि के संबंध में भारत सरकार/ उ०प्र० सरकार द्वारा जो भी संस्तुति/शर्तें लगाई जायेगी, उसके अनुपालन हेतु संस्थान बचनबद्ध है।

Hindalco Industries Limited
(Renusagar Power Division)

Contd..6/

(Gerard D. Rodericks)
Vice President - HR

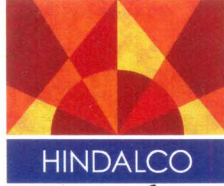
Hindalco Industries Limited

Renusagar Power Division, P.O. Renusagar 231 218, District: Sonbhadra, Uttar Pradesh, India

T: +91 5446 278592-95, 277161-63 | F: +91 5446 278596 / 277164 | E: hindalco@adityabirla.com | W: www.hindalco.com

Registered Office: Century Bhavan, 3rd Floor, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 030, India | T: +91 22 6662 6666

Corporate ID No.: L27020MH1958PLC011238



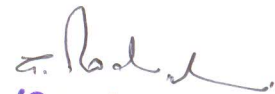
19	The State Government shall complete settlement of rights in terms of the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted and submit the documentary evidence as prescribed by this Ministry in its letter No. 11-9/1998-FC(Pt.) dated 03.08.2009 read with 05.07.2013 in support thereof.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि संस्थान द्वारा प्रश्नगत वनक्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी किया गया है जिसकी प्रति पूर्व में उपलब्ध करायी जा चुकी है, छायाप्रति संलग्न है।
20	The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि संस्थान द्वारा उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को प्रत्येक वर्ष मार्च माह में अनुपालन आख्या प्रेषित की जायेगी।
21	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ के स्तर से जो भी शर्त लगायी जायेगी उसका अनुपालन करने हेतु संस्थान वचनबद्ध है।
22	The User Agency shall comply all the provisions of all Acts, Rules, Regulations, Guidelines and Hon'ble Court Orders pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत वनभूमि के संबंध में नियमों, कानूनों, दिशा-निर्देशों तथा माननीय न्यायालय द्वारा समय-समय पर जो भी दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे उसका अनुपालन करने हेतु संस्थान वचनबद्धता प्रस्तुत करता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त अनुपालन आख्या को उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित करते हुए उनके पत्रांक एफ.नं० 8-05/1993-एफ.सी (पी.टी.) दिनांक 30.09.2016 द्वारा प्रश्नगत वनभूमि पर गैर वानिकी कार्य को रोकने संबंधी आदेश को निरस्त कराते हुये विधिवत स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

सधन्यवाद,

संलग्नक : यथाउपरोक्त।

भवदीय,
For Hindalco Industries Limited
(Renusagar Power Division)


(Gerard D. Rodericks)
Vice President - HR

Hindalco Industries Limited

Renusagar Power Division, P.O. Renusagar 231 218, District: Sonbhadra, Uttar Pradesh, India

T: +91 5446 278592-95, 277161-63 | F: +91 5446 278596 / 277164 | E: hindalco@adityabirla.com | W: www.hindalco.com

Registered Office: Century Bhavan, 3rd Floor, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 030, India | T: +91 22 6662 6666

Corporate ID No. : L27020MH1958PLC011238



एच0आर0 / 1504

दिनांक : 26.06.2018

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेणुकूट वन प्रभाग
रेणुकूट, सोनभद्र

विषय: जनपद-सोनभद्र में रेणुकूट वन प्रभाग द्वारा रेणुसागर पावर कम्पनी को ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु लीज पर दी गयी 61.2348 हेक्टेयर वनभूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रदत्त कुल 126.27 हेक्टेयर में से 61.2348 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में ।

संदर्भ: आपका पत्रांक 4564 / रेणुकूट / 15-31 दिनांक जून 22, 2018 ।

महोदय,

विषयक प्रकरण में अपने संदर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें । इस संबंध में सादर अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा एफ ए सी की संस्तुतियों के आधार पर आदेश दिनांक 18.06.2018 में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन में आप द्वारा माँगी गयी पेनल एन0पी0वी0 की धनराशि रु0 7,66,65,970.00 (रुपया सात करोड़ छियासठ लाख पैंसठ हजार नौ सौ सत्तर मात्र) एड-हॉक कैम्पा एकाउन्ट में आरटीजीएस के माध्यम से संदर्भ संख्या RTGS/IBKLR92018062600073061/UTTAR PRADESH CAMPA दिनांक 26.06.2018 को जमा कर दिया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है । इसके साथ-साथ मूल चालान की प्रति भी आपके अवलोकनार्थ संलग्न है ।

अतः श्रीमानजी से अनुरोध है कि विषयक प्रकरण में अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें ।

सधन्यवाद,

भवदीय,
कृते हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
(रेणुसागर पावर डिवीजन)

(शैलेश सिंह)

हेड - मानव संसाधन



संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. नोडल अधिकारी / मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश सरकार, 17-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को विषयक प्रकरण सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

o/c Recd 27/06/18
[Signature]

Hindalco Industries Limited

Renusagar Power Division, P.O. Renusagar 231 218, District: Sonbhadra, Uttar Pradesh, India

T: +91 5446 278592-95, 277161-63 | F: +91 5446 278596 / 277164 | E: hindalco@adityabirla.com | W: www.hindalco.com

Registered Office: Century Bhavan, 3rd Floor, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 030, India | T: +91 22 6662 6666

Corporate ID No.: L27020MH1958PLC011238

Registered Office: Anura Centre, 1st Floor, B Wing
Mankali Caves Road, Andheri (East), Mumbai 400 003
Tel: +91 22 6691 7000 Fax: +91 22 6691 7001
Corporate ID No.: L27020MH1958PLC011238



email address for your queries: customercare@idbi.co.in
email address for your IDBI equity and Flexibond queries: ird@idbi.co.in

Name : HINDALCO INDUSTRIES LTD.
Address : RENUKOOT SONBHADRA
RENUKOOT
RENUKOOT
INDIA
231217
Account No : 0163531440100
Customer ID : 140653
Account Branch : RENUKOOT - BIRLA MKT

Our Toll Free Numbers:

1800-22-1070 / 1800-200-1947

For Query / Grievance resolution:

SMS "IDBI CARE" to 9220800800



YOUR CASH CREDIT A/C STATUS

Amounts ranging from 76665970 to 76665970

A/c No. :0163531440100

Srl	Txn Date	Value Date	Description	Cheque No	CR/DR	CCY	Trxn Amount	Balance
1	26/06/2018	26/06/2018	RTGS/IBKLR92018062600073061/UTTAR P		DR	INR	7,66,65,970.00	0.00

Statement Summary :-

Dr Count	Cr Count	Debits	Credits
1	0	7,66,65,970.00	0.00

This is an account statement generated through Net Banking and does not require signature.

Important Information:

Contents of this statement will be considered correct if no discrepancies are reported in writing immediately. Value Date shown is the effective date for Debit and Credits in the account. Balance shown includes debit, credit, overdraft limit, funds under clearing and does not include the amount marked as lien. Therefore the available balance may differ from the balance displayed in the account statement.

DO NOT reply to any fraudulent phishing emails purportedly sent by IDBI Bank or other authorities asking for your Login ID, Password(s), OTP, OSP, URN or your account details etc. for updation or for any other reason. Please beware of such fraudulent mails, asking you to provide or update such information on a website or by clicking on a link within the email. We take your personal information seriously and will never ask for details about your Account / PINs or Passwords over the email/SMS/ Phone calls. The Bank is not responsible for any fraudulent transactions due to compromise or inadvertent disclosure of account related information.

Service Tax Registration No:AACI8842GST001. Classifications of service: Banking and Financial services Chargeable services include service tax @12.36% (including education cess and higher education cess)

AGENCY COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 26-06-2018	
Agency Name.	HINDALCO
Application No.	6725304747
MoEF/SG File No.	8-05/1993-FC PT.
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	P.O. RENUKOOT DIST. SONEBHADRASonbhadra
Amount(in Rs)	76665970/-
Amount in Words :Seven Crore Sixty-Six Lakh Sixty-Five Thousand Nine Hundred and Seventy Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150906725304747 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only • This challan is valid only for seven days.	

After making successful payment, User Agencies m:
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

1BKLR920120 626 0007306)